राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ/02/07/2020/एस.1/30 **दिनांक 08.04.2020**

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने पर विचार किया गया है।

और जबकि, भारत सरकार ने "कोविड–19" की महामारी को रोकने के लिए 25 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित पूरे भारत में लॉकडाउन किए जाने के लिए अधिसूचना जारी की है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए जा रहे हैं।

और जबकि, लॉकडाउन और आइसोलेशन उपायों का कड़ाई से अनुपालन करना अनिवार्य है, ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड–19 के संक्रमण को रोका जा सके।

और जबकि कुछ अध्ययनों में यह देखा गया है कि चेहरे पर मास्क का पहने जाने से कोरोना वायरस के एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से होने वाले संक्रमण के अलावा अनिवार्य सोशल डिस्टेंसिंग उपायों से संक्रमण को काफी हद तक रोका जा सकता है।

और जबकि काफी हद तक जनता के हित में यह जरूरी हो जाता है कि किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने वाले किसी व्यक्ति के लिए मास्क का पहने जाना अनिवार्य है।

अतः, अब, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के धारा 22 के तहत निहित शक्तियों के अनुपालन के द्वारा, राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित उपायों के निदेश दे जाते हैं :

1. सभी व्यक्ति चाहे वे किसी भी उद्देश्य और किसी भी कारण/प्राधिकरण से सार्वजनिक स्थानों, जैसे गली, अस्पताल, कार्यालय, बाजारों इत्यादि में बाहर निकल रहे हों, को 3 प्लाई वाला अथवा कपड़े से बना मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा।

2. कोई व्यक्ति जो अपने निजी अथवा सरकारी वाहन से बाहर निकलता हो, को ये मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होंगे।

3. कोई व्यक्ति किसी साइट/कार्यालय/कार्यस्थल पर कार्य करता हो, उसे उपर्युक्त अनुसार मास्क पहनने होंगे.

Scanned with CamScanner

...19 की ... ...के लिए

4. कोई भी व्यक्ति/अधिकारी उपर्युक्त अनुसार इन मास्क को पहने बिना किसी बैठक/समारोह में शामिल नहीं होगा.

5. ये मास्क केमिस्ट के पास उपलब्ध मानक मास्क हो सकते हैं अथवा घर पर बने धोए जा सकने वाले मास्क भी हो सकते हैं तथा इसे उचित तरीके से धोकर तथा संक्रमण मुक्त करके पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है.

नियोक्ता की जिम्मेददारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके कर्मचारी आवश्यक रूप से 3 प्लाई वाला अथवा कपड़े का मास्क पहनें।

इन निदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (1860 का 48) के तहत दंडित किया जा सकता है तथा उसे कड़ी सजा दी जा सकती है. इन निदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

संलग्नः यथोक्त

प्रतिलिपि अनुपालन हेतु :–

1. आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. समस्त जिला उपायुक्त पुलिस, दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, दिल्ली।
4. प्रधान सचिव, शहरी विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. समस्त सदस्य राज्य कार्यकारी समिति, डीडीएमए।
6. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय को व्यापक प्रचार हेतु।
7. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

Scanned with CamScanner